रेल दावा अधिकरण

पटना पीठ, पटना

वाद संख्या– OA(IIu)/PNBE/30/2020

पीठासीनः श्री राम बाबू शर्मा, माननीय सदस्य (न्यायिक), रेल दावा अधिकरण, पटना

श्री शिव कुमार प्रसाद, माननीय सदस्य (तकनीकी), रेल दावा अधिकरण, पटना

संस्थन की तिथिः 13.01.2020

निर्णय की तिथिः 18.08.2025

1. कुसिया देवी, उम्र 55 वर्ष, मृतक की माता
2. बुटन मांझी, उम्र 56 वर्ष, मृतक का पिता
3. संजु देवी, उम्र 26 वर्ष, मृतक की पत्नी
4. चन्दन कुमार, उम्र 04 वर्ष, मृतक का पुत्र
5. रंजन कुमार, उम्र 02 वर्ष, मृतक का पुत्र

सभी निवासी ग्राम/मो0– मिश्रौलिया अफजलपुर,
पोस्ट–मिश्रौलिया, थाना–बेलसर ओ0पी0,
जिला–वैशाली, बिहार, पिन–844120 .... याचीगण

बनाम

भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर .... उत्तरदाता

दावा राशिः ₹8,00,000/– मय ब्याज

उपस्थितिः

वादी के विद्वान अधिवक्ता–कुमारी रिन्की सिन्हा–अनुपस्थित

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता–श्री राधिका रमण–उपस्थित

निर्णय

श्री राम बाबू शर्मा, माननीय सदस्य (न्यायिक):

1. याचीगण कुसिया देवी एवं अन्य ने यह याचिका रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–16 के अन्तर्गत कमल कुमार की रेल की घटना में मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप उन पर अपनी आश्रितता के आधार पर भारत संघ (द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर) के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में ₹8,00,000/– एवं उस पर ब्याज दिये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत की है।

2. याचीगण के अभिकथन के अनुसार, मृतक कमल कुमार दिनांक 10.09.2019 को अपने गांव मिश्रौलिया अफजलपुर, जिला वैशाली आने के लिए पुणे जं0 पर ट्रेन नं0 12149 पुणे–दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ा। उसके पास पुणे जं0 से दानापुर जं0 का वैध द्वितीय श्रेणी साधारण टिकट था। उक्त ट्रेन के साधारण डिब्बे में भारी भीड़ थी। दूसरे दिन दिनांक 11.09.2019 को जब उक्त ट्रेन आरा जंक्शन पर रूकी तो मृतक पानी का बोतल खरीदने के लिए प्लेटफार्म पर उतरा, फिर ट्रेन पर चढ़ा, परन्तु भीड़ के कारण वह डिब्बे के अन्दर नहीं जा सका, जिसके कारण वह बोगी के दरवाजा पर ही खड़ा रहने को मजबूर था। जब उक्त ट्रेन कुलहड़िया–कोईलवर के बीच चल रही थी तो यात्रियों की धक्का–मुक्की के कारण मृतक असंतुलित हो गया एवं पोल सं0 580/08 के पास रेलवे ट्रैक पर गिर गया। इस दुर्घटना में आयी चोटों के कारण घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। इस दुर्घटना में उसका यात्रा टिकट खो गया।

3. उत्तरदाता द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत किया गया और याचिका का इस आधार पर विरोध किया गया कि यह अनपेक्षित घटना का केस नहीं है। यह केस तथ्यों पर एवं कानूनी रूप से पोषणीय नहीं है। मूल आवेदन का पैरा 6 का खण्डन किया गया है; मृतक किसी ट्रेन का सदभावी यात्री था अथवा नहीं, संदेहास्पद है। कोई यात्रा टिकट बरामद नहीं हुआ था, मृतक का शव कि0मी0 580/08 के पास कुलहड़िया एवं कोईलवर के बीच जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पड़ा था, यह गंभीर संदेह उत्पन्न करता है कि यह रन ओवर का केस है अथवा कोई अन्य केस। घटना के बाद पुलिस

घटनास्थल का एवं मृतक के शव का परीक्षण किया, कुछ कागज एवं आधार कार्ड मृतक की जेब से मिला, परन्तु घटनास्थल पर कोई टिकट नहीं मिला। मृतक सदभावी यात्री नहीं था। याचीगण मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

वाद बिन्दु

4. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर इस याचिका के निर्णय के लिए दिनांक 18.03.2021 को निम्नलिखित वाद विन्दु बनाये गये।

(1) क्या मृतक ट्रेन सं0 12149 का एक सदभावी यात्री था?

(2) क्या मृतक की मृत्यु रेल अधिनियम, 1989 की धारा 123(c) (2) की परिधि के अन्तर्गत अनपेक्षित घटना में हुई थी?

(3) क्या आवेदिका/आश्रितगण मृतक के आश्रित हैं?

(4) क्या आवेदिका/आश्रितगण प्रतिकर की धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं और यदि हाँ तो कितना?

5. याचीगण की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में कुसिया देवी का सशपथ मौखिक साक्ष्य ए.डब्ल्यू–01 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में याचीगण की ओर से स्टेशन मेमो (प्रदर्श–A/1), एफ आई आर (प्रदर्श–A/2), मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श–A/3), आवेदन (प्रदर्श–A/4), शव चालान (प्रदर्श–A/5), पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श–A/6), फाइनल रिपोर्ट (प्रदर्श–A/7) मृत्यु प्रमाण पत्र (प्रदर्श–A/8), आश्रित प्रमाण पत्र (प्रदर्श–A/9) एवं आधार कार्ड (प्रदर्श–A/10) की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

7. उत्तरदाता की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में डी आर एम रिपोर्ट की मूल प्रति (सामूहिक रूप से प्रदर्श–R/1) प्रस्तुत की गयी है। विपक्षी की ओर से किसी साक्षी को न्यायाधिकरण के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया।

8. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

9. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता आज बहस हेतु उपस्थित नहीं हुई। इस प्रकरण में माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधान पीठ, दिल्ली का आदेश दिनांक 20.03.2025 में निदेशित किया गया है कि आदेश के दो माह के अंदर याची की साक्ष्य समाप्त कर पटना पीठ द्वारा विधि अनुसार वाद का निस्तारण किया जाये। उक्त आदेश के उपरांत इस न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 24.06.25 एवं विगत तिथि 17.07.2025 पर याचिनी की विद्वान अधिवक्ता कुमारी रिंकी सिन्हा उपस्थित हो चुकी हैं। अतः याचिनी को नोटिस प्रेषित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पत्रावली दिनांक 02.07.2025 को बहस हेतु दिनांक 17.07.2025 के लिए नियत की गयी थी। दिनांक 17.07.2025 को याचिनी के अधिवक्ता उपस्थित आयी थी परन्तु बहस नहीं हुई तथा पत्रावली बहस हेतु पुनः दिनांक 07.08.2025 को नियत की गयी । दिनांक 07.08.2025 को याची अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुई। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/अभिलेखों के आधार पर वाद का निस्तारण किया जा रहा है।

विनिश्चय

वाद बिन्दु संख्या 1 एवं 02

दोनों वाद–बिन्दु एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। अतः उनका एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

10. याचीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया गया कि मृतक कमल कुमार दिनांक 10.09.2019 को अपने गांव मिश्रौलिया अफजलपुर, जिला वैशाली आने के लिए पुणे जं0 पर ट्रेन नं0 12149 पुणे–दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ा। उसके पास पुणे जं0 से दानापुर जं0 का वैध द्वितीय श्रेणी साधारण टिकट था। उक्त ट्रेन के साधारण डिब्बे में भारी भीड़ थी। दूसरे दिन दिनांक 11.09.2019 को जब उक्त ट्रेन आरा जंक्शन पर रूकी तो मृतक पानी का बोतल खरीदने के लिए प्लेटफार्म पर उतरा, फिर ट्रेन पर चढ़ा, परन्तु भीड़ के कारण वह डिब्बे के अन्दर नहीं जा सका, जिसके कारण वह बोगी के दरवाजा पर ही खड़ा रहने को मजबूर था। जब उक्त ट्रेन कुलहड़िया–कोईलवर के बीच चल रही थी तो यात्रियों की धक्का–मुक्की के कारण मृतक असंतुलित हो गया एवं पोल सं0 580/08 के पास रेलवे ट्रैक पर गिर गया। इस दुर्घटना में आयी चोटों के कारण घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। इस दुर्घटना में उसका यात्रा टिकट खो गया।

11. उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया है कि प्रस्तुत मामले में यदि मृतक के पास टिकट होता तो वह टिकट मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करते समय बरामद होता। परन्तु मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में टिकट बरामदगी का कोई उल्लेख नहीं है। मृतक सदभावी यात्री नहीं था। मृतक की मृत्यु अनधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक पार करने के क्रम में किसी चलती ट्रेन के चपेट में आने से अथवा अन्य किसी कारण से हुई है इसमें रेल प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं है। यावीगण द्वारा सिर्फ मुआवजा प्राप्त करने के लिए मनगढ़न्त तथ्यों पर दावा आवेदन दाखिल किया गया है।

12. रेल अधिनियम 1989 की धारा 2 (29) में यात्री शब्द को परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत् है:–

धारा 2(29)– *"यात्री से किसी विधिमान्य पास या टिकट से यात्रा करनेवाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।"*

13. रेल अधिनियम, 1989 की धारा *123 (c) "अनपेक्षित घटना" को परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है–*

(1) यात्रियों को ले जाती हुई किसी रेलगाड़ी पर या उसके प्रतीक्षालय, अमानती सामान घर या आरक्षण अथवा टिकट घर या प्लेटफार्म रेलवे स्टेशन के परिसर के भीतर किसी अन्य स्थल में की गयी कोई "अनपेक्षित घटना" (कष्टकारी घटना/Untoward incident) का तात्पर्य है–

(i) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 16987 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत कोई आतंकवादी कार्य करना, या

(ii) हिंसात्मक आक्रमण का प्रदर्शन या लूटपाट या डकैती करना, या

(iii) बलवा, गोली चलाकर मार देना या आगजनी की वारदात, अथवा

(2) यात्रियों को ले जाती हुई रेलगाड़ी से किसी यात्री का दुर्घटनावश गिर जाना।

14. रेल के सद्भावी यात्री के सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम रीना देवी, अपील संख्या 4945 ऑफ 2018 निर्णित दिनांक 09.05.2018 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

"mere presence of body on the railway premises will not be conclusive to hold that injured or deceased was a bonafide passenger for which claim for compensation could be maintained. However, mere absence of ticket with such injured or deceased will not negative the claim that he was a bonafide passenger. Initial burden will be on the claimant which can be discharged by filing an affidavit of the relevant facts and burden will be then shift on the Railways and the issue can be decided on the facts shown or the attending circumstances. This will have to be dealt with from case to case on the basis of facts found. The legal position in this regard will stand explained accordingly."

अतः यह जिम्मेदारी याचीगण की है कि वे प्रथमतः अपने दावे को सिद्ध करें और इसके लिए वे शपथपत्र के साथ वैध यात्री होने के सम्बन्ध में संगत साक्ष्य प्रस्तुत करें।

15. याचीगण की ओर से मृतक की माता, कुसिया देवी को साक्षी ए0डब्लू0 1 के रूप में न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। साक्षी कुसिया देवी को साक्षी ए0डब्लू0 1 ने अपने शपथपत्र की पैरा 2 में यह कथन किया है कि–

"2. यह कि मेरा मृतक पुत्र कमल कुमार पुणे में रहकर मजदूरी का काम करता था और दिनांक 10.09.2019 को मेरा मृतक पुत्र अपना घर आने के लिए पुणे जं० से दानापुर जं० का द्वितीय श्रेणी का साधारण वैध यात्रा टिकट कटाकर ट्रेन संख्या 12149 पुणे-दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन पुणे जं० पर सवार होकर दानापुर आ रहा था जहाँ से उसे अपना घर जाना था।"

दिनांक 13.09.2023 को अपने प्रतिपरीक्षण में कुसिया देवी, साक्षी ए0डब्लू0 1 ने कथन किया है कि–

" कमल कुमार मेरा पुत्र है। कमल कुमार विवाहित पुत्र था। मेरा पुतोह का नाम संजू देवी एवं पोते का नाम चंदन कुमार एवं रंजन कुमार है। हमलोग अलग-अलग रहते हैं। मेरी पुतोह घर पर रहती

है। मेरे पति का नाम बुटन माझी है। ***दिनांक 11.09.2019 को हम घर पर थे।*** *मेरा मृतक पुत्र कमल कुमार मजदूरी का काम करता था। कमल कुमार पढ़ना-लिखना नहीं जानता था। शपथ-पत्र को हम कोर्ट कचहरी से लाकर दिये हैं वकील साहब नहीं लिखवाये हैं। मुझे नही पता है कि इसमें कितना पारा है। मैं अपना पुत्र का मृत शरीर घर पर देखी थी। गवाह को मृतक कमल कुमार का फोटो दिखाया गया जिसमें कहा कि यह मेरा पुत्र का फोटो है। यह कहना गलत है कि मेरा पुत्र का मृत्यु एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पार करने के दौरान कट गया था।"*

साक्षी ए0डब्लू0 1, कुसिया देवी ने मृतक को टिकट कटाते, ट्रेन पर चढ़ते एवं ट्रेन से गिरते नहीं देखी है। यह मात्र साक्षी औपचारिक साक्षी हैं, टिकट खरीदे जाने अथवा घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हं।

16. घटना के उपरांत दिनांक 11.09.2019 को तिलेशर मांझी, मृतक के चाचा ने रेल थाना आरा को एक आवेदन दिया था, उसमें मृतक द्वारा टिकट लेकर यात्रा करने का कथन नहीं किया गया है। सिर्फ यह कथन किया गया है कि मृतक ने अपनी माँ को सूचना दिया था कि वह गाड़ी पकड़ लिया है एवं सुबह चार बजे पटना आ जाएगा। इस आवेदन में आवेदक ने भीड़ होने के कारण मृतक कमल कुमार की चलती गाड़ी से गिरने, कटने, जख्मी होने के कारण मृत्यु होने का दावा किया है। मृतक किस ट्रेन से यात्रा कर रहा था, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। मृतक द्वारा ट्रेन का टिकट खरीदे जाने अथवा उसके ट्रेन से गिरने का कोई पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

17. मृतक के पास घटना के समय वैध यात्रा टिकट था, इस तथ्य को साबित करने का प्रथमदृष्टतया भार याची पर था। परन्तु याची की ओर से ऐसा विश्वसनीय साक्ष्य अथवा साक्षी न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि मृतक घटना के समय सदभावी यात्री था। इस प्रकार याची ने प्रथमदृष्टतया अपने सबूत के भार को डिस्चार्ज नहीं किया है। अतः मृतक का सदभावी यात्री होना सिद्ध नहीं होता है।

18. पत्रावली पर उपलब्ध स्टेशन मेमो में उल्लेख है कि–

"At 06:40 hrs on 11.09.2019 informed by SCOR/DNR/ (12149 exp. Loco Pilot). One male person laid on track beside. Informed to he was dead @ KM 580/08. This is for your information plz do needful."

इस मेमो में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि ट्रेन नं0 12149 के लोको पायलट ने यह सूचना दी थी कि एक व्यक्ति ट्रैक के बगल में पड़ा है। मूल आवेदन में यह कथन किया गया है कि मृतक ट्रेन नं0 12149 से यात्रा कर रहा था एवं यात्रा के दौरान चलती ट्रेन से गिरने से उसकी मृत्यु हुई। परन्तु मेमो के अनुसार लोको पायलट द्वारा सूचना मिलने से यह स्पष्ट है कि उक्त ट्रेन के उस स्थल पर पहुंचने से पहले से ही मृतक का शव वहां पड़ा हुआ था। इससे यह साबित होता है कि मृतक न तो ट्रेन नं0 12149 का सदभावी यात्री था और न ही उसकी मृत्यु ट्रेन नं0 12149 से गिरने के कारण हुई है। उसकी मृत्यु किसी अन्य ट्रेन की चपेट में आने से अथवा किसी अन्य कारण से हुई है। इससे याचीगण द्वारा मूल याचिका में किये गये तथ्य का समर्थन नहीं होता है।

19. पत्रावली पर उपलब्ध मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में,
कॉलम 9 में मृत्यु का कारण– *गवाहों के बतायेनुसार मृतक की मृत्यु किसी चलती ट्रेन से गिरकर कटकर मृत्यु होना प्रतीत होता है,* अंकित है।

इस रिपोर्ट में यात्रा टिकट पाये जाने का उल्लेख नहीं है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से **"किसी चलती ट्रेन से गिरकर कटकर मृत्यु होना,** दर्शाया गया है। **परन्तु किस ट्रेन से गिरा है, उसका नम्बर या नाम अंकित नहीं किया गया है।**

मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में मृतक का आधार कार्ड प्राप्त होने का उल्लेख है परन्तु यात्रा टिकट प्राप्त होने का कोई उल्लेख नहीं है। इस रिपोर्ट से मूल याचिका के इस तथ्य का समर्थन नहीं होता कि मृतक की मृत्यु ट्रेन नं0 12149 से गिरने के कारण आयी चोटों से हुई हो।

20. पत्रावली पर उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिनांक 11.09.19 एवं समय 12.15 PM के अनुसार– *External inj:- Skull fracture #.*

Left eye crushed.

Right leg cut injury at ankle area, at Rt. knee cut injury -bone #...

Time- within 6-24 hrs.

Cause of death-CR failure due to haemorrhage & shock.

21. पत्रावली पर उपलब्ध फाइनल रिपोर्ट के निष्कर्ष में उल्लेख किया गया है–

"मृतक कमल कुमार... की चलती ट्रेन सं0 12149 पुणे दानापुर से गिरकर तथा गंभीर जख्मी होकर मृत्यु हुआ।"

इस रिपोर्ट मे मृतक की चलती ट्रेन सं0 12149 पुणे दानापुर से गिरकर गंभीर जख्मी होकर मृत्यु होना, दर्शाया गया है। विवेचक इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे, यह स्पष्ट नहीं किया गया है जबकि मेमो ट्रेन नं0 12149 के लोको पायलट की सूचना पर ही जारी किया गया है एवं मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में भी किसी ट्रेन का नाम अथवा नम्बर नहीं आया है तथा घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी भी नहीं है। इसलिए विवेचक द्वारा प्रस्तुत फाइनल रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

22. विपक्षी द्वारा प्रस्तुत डी आर एम रिपोर्ट के निष्कर्ष में यह उल्लेख है कि–

" जांच में पाये गये साक्ष्यों, गवाहों के बयान तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि मृतक कमल कुमार उम्र 22 वर्ष पे० बुटन मांझी, सा०- मिश्रौलिया अफजलपुर पटेढ़ी, था०- बेलसर, जिला- वैशाली जो किसी ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहा था और न ही उसके पास कोई रेल यात्रा टिकट पाया गया। घटित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। मृतक की मृत्यु अनाधिकृत रूप से घटनास्थल पर ट्रैक पार करने के कम में किसी चलती गाडी के चपेट में आने से हुई है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में रेल प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। घटना रेल अधिनियम की धारा 123 की उप धारा (ग) में परिभाषित अनापेक्षित घटना में वर्णित परिस्थितियों में घटित नहीं हुई है।..."

23. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनकर, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि–व्यवस्था के आलोक में, यह तथ्य याची की साक्ष्य

से साबित नहीं होता कि मृतक किसी ट्रेन का सदभावी यात्री था एवं मृतक की मृत्यु ट्रेन नं0 12149 से गिर जाने के कारण आयी चोटों से हुई हो। कथित घटना रेल अधिनियम, 1989 की धारा–123 (सी) (2) के अन्तर्गत परिभाषित अनपेक्षित घटना की परिधि में नहीं आती है। तदनुसार वाद बिन्दु संख्या 01 एवं 02 नकारात्मक रूप से याचीगण के विरूद्ध विनिश्चित किये जाते हैं।

वाद बिन्दु संख्या 03 एवं 04

24. वाद बिन्दु 01 एवं 02 की विवेचना के प्रकाश में वाद बिन्दु 03 एवं 04 पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है।

आदेश

25. याचीगण कुसिया देवी एवं अन्य की याचिका खारिज की जाती है। उभय पक्षकार अपना अपना वाद–व्यय स्वयं वहन करेंगे।

26. निर्णय की प्रति दोनों पक्षकारों को बिना किसी मूल्य के उपलब्ध करायी जाय। उभयपक्ष को निर्णय की प्रति स्पीड पोस्ट से भेजी जाय। तत्पश्चात समस्त औपचारिकता पूरी होने के पश्चात पत्रावली को दाखिल दफ्तर किया जाय।

(शिव कुमार प्रसाद)
सदस्य (तकनीकी)
दिनांक 18.08.2025

(राम बाबू शर्मा)
सदस्य (न्यायिक)
दिनांक 18.08.2025

निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

(शिव कुमार प्रसाद)
सदस्य (तकनीकी)
दिनांक 18.08.2025

(राम बाबू शर्मा)
सदस्य (न्यायिक)
दिनांक 18.08.2025